परिपत्र सं0-2021016

पत्र सं0/ /विधि अनुभाग/2020-21/ 260 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 11 सितम्बर, 2020

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,/ग्रेड-2, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

विषयः-वैट के वादों का ऑनलाईन हियरिंग किये जाने के संबन्ध में।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना सं0 403/ग्यारह-2-9(18)2012-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(98)-2020 दिनांक 27 मार्च, 2020 द्वारा वर्ष 2016-17 के वादों, जिनके कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने की समय सीमा 21.03.2020 को समाप्त हो रही थी, के संबन्ध में कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय सीमा 30.06.2020 तक बढ़ा दी गयी थी। जिसे पुनः अधिसूचना सं0 469/ग्यारह-2-20-9(46)/20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(120)-2020 दिनांक 13 मई, 2020 से पूर्व में निर्धारित समय सीमा दिनांक 30 जून, 2020 को बढ़ा कर 31 अक्टूबर, 2020 तक कर दी गयी है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में महामारी कोवीड-19 के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या-827/ग्यारह-2-20-9(46)/20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(140)-2020 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2020 द्वारा किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 एवं नियमावली के अन्तर्गत धारा 27, धारा 31, धारा 32 धारा 55, धारा 57 एवं नियम 45(13) के संबन्ध में किसी कार्यवाही को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी समय सीमा, जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गयी हो या तदधीन विहित या अधिसूचित की गयी हो, को, जो दिनांक 20 मार्च, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान आता है, और जहाँ ऐसी कार्यवाही की पूर्ति या उसका अनुपालन ऐसी समयावधि के भीतर न किया गया हो, वहाँ ऐसी कार्यवाही को पूरा करने या उसका अनुपालन करने की समय सीमा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी गयी है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज में अधिकांश वादों की नियमित सुनवाई न करते हुए ऑनलाईन माध्यम से सुनवाई की जा रही है। उक्त के दृष्टिगत अन्य न्यायिक संस्थाओं द्वारा भी ऑन लाईन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोविड-19 से बचाव के साथ-साथ पेन्डिग वादों के त्वरित एवं समयबद्व निस्तारण हेतु सुनवाई की ऑनलाईन व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में महामारी कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत व्यापारी/उसके प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के कम में वाणिज्य कर विभाग के वैट के वादों हेतु ऑनलाईन हियरिंग के सम्बन्ध में प्रक्रिया :–

1. <u>अधिकारी के स्तर पर कार्यवाही :–</u>

- वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप सुनवाई हेतु अधिकारी द्वारा आर5ए जनरेट करने के पश्चात व्यापारी की सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए ऑनलाईन नोटिस निर्गत किया जायेगा।
- ऑनलाइन नोटिस निर्गत करते समय अधिकारी द्वारा विडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि तथा दिनांक का चयन ऑनलाइन ही किया जायेगा।
- ऑनलाइन नोटिस निर्गत होते ही सम्बन्धित व्यापारी को उसके रजिस्ट्रेशन डाटा बेस में अंकित ई–मेल तथा मोबाईल नम्बर पर नोटिस से संबन्धित ई–मेल तथा एस0एम0एस0 प्रेषित हो जायेगा।
- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस के संबन्ध में व्यापारी द्वारा उत्तर/सुनवाई कराये जाने के बाद भी यदि किसी बिन्दु पर और सूचना की आवश्यकता हो तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Additional Information के बिन्दु पर Click कर आवश्यक सूचनाओं का अंकन किया जायेगा। उक्त Additional Information का उत्तर व्यापारी द्वारा Additional Information के Link पर क्लिक कर पूर्व की प्रकिया की भांति ही दिया जा सकेगा।

2. <u>कर्मचारी के स्तर पर कार्यवाही :–</u>

- अधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस में दिये गये दिनांक तथा समय पर विडियो कॉल आर्गेनाईज करने के सम्बन्ध में मीटिंग तथा तिथि जनरेट करने की कार्यवाही सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी द्वारा की जायेगी।
- इस कार्य हेतु उपलब्ध लॉगिन आई0डी0 से लॉगिन करने के पश्चात कर्मचारी द्वारा Microsoft team/skype/google meet आदि के प्लेटफार्म से मीटिंग ऑनलाईन schedule की जायेगी तथा मीटिंग schedule करने के पश्चात सम्बन्धित लिंक को copy करके ई–हियरिंग सम्बन्धी मॉड्यूल में पेस्ट कर सबमिट किया जायेगा।
- ऑनलाईन हियरिंग हेतु जनरेट वीडियो कॉल का लिंक स्वतः ही सम्बन्धित व्यापारी के ई–मेल तथा मोबाईल नम्बर पर प्रेषित हो जायेगा।

3. <u>व्यापारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–</u>

- **ऑनलाईन हियरिंग हेतु व्यापारी को प्रेषित किये जाने वाले नोटिस सम्बन्धी ई–मेल में व्यापारी के लिए "डीलर ई पासबुक" एप से संबन्धित लिंक भी प्रेषित हो जायेगा।**
- इस एप को डाउनलोड करने पर व्यापारी को जी0एस0टी0एन0 द्वारा किये गए ऑनलाईन समव्यवहारों से संबन्धित सूचना तथा उससे सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी का विवरण उपलब्ध हो जायेगा। इसी एप पर **वैट** से संबन्धित वादों की आनलाईन सुनवाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
- इसी एप में ई–हियरिंग के Menu के अन्तर्गत कर निर्धारण कार्यालय से प्रेषित किये गए वीडियो कॉल संबन्धी लिंक उपलब्ध हो जायेगा।

- व्यापारी द्वारा ई–मेल में प्रेषित किए गये "डीलर ई पासबुक" एप को अपने मोबाईल पर डाउनलोड किया जायेगा। तत्पश्चात जी0एस0टी0एन0 डाटा में रजिस्ट्रेशन डाटा बेस में उपलब्ध नम्बर के माध्यम से एप को Install किया जायेगा।
- डाटा के ऑनलाईन वेरिफिकेशन के उपरान्त एप का इन्सटालेशन पूर्ण हो जायेगा।
- एप के डाउनलोड होने पर व्यापारी को उस मोबाईल नम्बर से लिंक जी0एस0टी0आई0एन0 द्वारा जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर की गयी ऑनलाईन कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध हो जायेगा।
- यदि किसी मोबाईल नम्बर पर एक से अधिक GSTIN अंकित हैं तो शेष GSTIN के सम्बन्ध में एप डाउनलोड करने के लिए मोबाईल नम्बरों को add करने के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा खण्ड कार्यालय को ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा तथा कर निर्धारण अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात वह एप डाउनलोड किया जायेगा।
- "डीलर ई पासबुक" एप में ई–हियरिंग लिंक पर व्यापारी को उसके वीडियो कॉल के माध्यम से ऑलनाईन हियरिंग सम्बन्धी तिथि, समय एवं लिंक उपलब्ध होगा। निर्धारित तिथि व समय पर व्यापारी द्वारा उस लिंक पर क्लिक करके सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी से वीडियो कॉल की जा सकेगी।
- यदि व्यापारी के मोबाईल में विडियो कॉल सम्बन्धी एप डाउनलोड नहीं है तो व्यापारी को एक बार उस एप को मोबाईल पर डाउनलोड करना पडेगा। तत्पश्चात वीडियो कॉल के माध्यम से ऑन लाईन हियरिंग की कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी ।
- यदि अधिकारी द्वारा नियत तिथि तथा समय पर व्यापारी द्वारा सुनवाई कराये जाने में यदि कोई ठोस कठिनाई है तो व्यापारी द्वारा नई तिथि एवं समय का निर्धारण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नई तिथि तथा समय नश्चित करने हेतु आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा तथा आवेदन स्वीकार करने की दिशा में मीटिंग का लिंक पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार जनरेट करते हुए व्यापारी को सूचित किया जायेगा।
- यदि किसी सूचना के Confirmation हेतु प्रति परीक्षण आवश्यक हो तो अधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण हेतु तिथि तथा समय का चयन करते हुए व्यापारी के ऑनलाईन हियरिंग हेतु लिंक जनरेट किया जायेगा तथा तत्कम में व्यापारी को सूचना उपरोक्त प्रकिया के अनुसार ही उपलब्ध करायी जायेगी।

4. **<u>सुनवाई से संबन्धित प्रपत्रों को अपलोड करने के संबन्ध में व्यापारी की प्रक्रिया:–</u>**

- सुनवाई से संबन्धित प्रपत्रों को अपलोड करने के लिए व्यापारी को ई–मेल से प्रपत्र अपलोडिंग से सम्बन्धित मॉड्यूल का URL, लॉगिन आई0डी0 तथा पासवर्ड प्रेषित हो जायेगा जिसके माध्यम से व्यापारी सुनवाई से सम्बन्धी प्रपत्र अपलोड कर सकेंगे।
- माड्यूल में व्यापारियों को ऑलनाइन हियरिंग से संबन्धित प्रपत्रों को अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। व्यापारी add more button पर क्लिक करके आवश्यकतानुसार अलग–अलग प्रपत्र अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक अपलोडेड प्रपत्र के समक्ष प्रपत्र का प्रकार अंकित किया जा सकेगा। इस प्रकार अपलोडेड समस्त

प्रपत्र सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी की लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेंगे, जिनको डाउनलोड कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुपालन में किसी व्यवहारिक समस्या के निदान हेतु कमाण्ड सेन्टर, वाणिज्य कर मुख्यालय में स्थिति दूरभाष संख्या 0522–2720367 पर कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

वैट के अवशेष वादों की ऑनलाईन हियरिंग के संबन्ध में उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुमोदन शासन के राज्य कर अनुभाग –2 के पत्र सं0 1047/11–9–2020 से कर दिया गया है।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–

1.ज्वाइंट कमिश्नर, (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आई0टी0 अनुभाग से संबन्धित तकनीकी बिन्दुओं के संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही एवं कमाण्ड सेन्टर में स्थित दूरभाष पर उक्त के संबन्ध में जिज्ञासा के समुचित समाधान हेतु सक्षम कार्मिक की तैनाती कराने का कष्ट करें।

2. सभी जोनल, सम्भाग एवं मण्डल के अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने जोन, सम्भाग एवं मण्डल में कार्यरत अधिवक्ता संघों, व्यापार एवं उद्योग संघों को इसके संबन्ध में आवश्यक जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइंट कमिश्नर(विधि/जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।